कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
(नियोजन–2)
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,देहरादून।
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttrakhand
Phone&Fax:-0135-2530467,2530431 E-Mail-cepwdua@rediff.com
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक–933 /49पंजीकरण–नि0–2/2018 दिनांक26/10/2020

कार्यालय ज्ञाप

मै0 डसीला कन्स्ट्रक्शन (प्रो0 श्री भगवत सिंह डसीला, पुत्र श्री चन्द्रभानु सिंह डसीला) निवासी दुग बाजार तहसील बागेश्वर, जिला बागेश्वर द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर इस कार्यालय के पत्र संख्या–1067/8(174)सू0प्र0/2015 दिनांक 30.06.2015 द्वारा मार्ग कार्य श्रेणी ए में पंजीकरण का नवीनीकरण दिनांक 30.06.2018 तक किया गया था। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, थराली द्वारा अपने पत्र संख्या–2352/7 ए0सी0 दिनांक 25.11.2016 से अवगत कराया गया कि **"राज्य योजना के अन्तर्गत थराली–देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग"** का पी0सी0 द्वारा डामरीकरण के कार्य का अनुबन्ध संख्या–09/एस0ई0–7/12–13 दिनांक 31.12.2012 रू0 82,59,978.38 एवं अनुबन्ध संख्या–10 /एस0ई0–7/12–13 दिनांक 31.12.2020 रू0 80,28,807.09 मै0 डसीला कन्स्ट्रक्शन के नाम गठित हुआ था, जिसमें ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ा गया। उक्त कार्य का अन्तिमीकरण कर अर्थदण्ड की कटौती के उपरान्त अन्तिम देयक की ऋणात्मक धनराशि रू0 84,90585.00 प्रर्कीण अग्रिम में डालते हुये ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण करने में लापरवाही बरतने एवं विभागीय नियमों के तहत कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार को काली सूची में डालने हेतु इस कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया।

अधीक्षण अभियन्ता, 7वां वृत्त, गोपेश्वर/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, थराली द्वारा ठेकेदार को अनुबन्ध की शर्तानुसार कार्य समय से पूर्ण करने हेतु बार–बार पत्राचार करने के उपरान्त भी उक्त ठेकेदार द्वारा कार्य समय से पूर्ण नही किया गया। उक्त पर मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्र संख्या–126/7(503) दिनांक 25.01.2017 द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराते हुये अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 थराली द्वारा ठेकेदार को काली सूची में डालने की संस्तुति उचित प्रतीत होती है, की सूचना से इस कार्यालय को भी सूचित किया गया। उक्त के कम में इस कार्यालय के पत्रांक–462/49 पंजीकरण दिनांक 22.07.2017 द्वारा मै0 डसीला कन्स्ट्रक्शन को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुये बिन्दुवार प्रतिउत्तर समयान्तर्गत इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके कम में ठेकेदार द्वारा अपने पत्र संख्या–16/2017 दिनांक 01.08.2017 द्वारा कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया। ठेकेदार द्वारा प्रेषित कारण बताओं नोटिस का बिन्दुवार परीक्षण कर साक्ष्यों सहित स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–560/49 पंजीकरण दिनांक 31.08.2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी को लिखा गया। मुख्य अभियन्ता, पौडी द्वारा अपने पत्रांक–310/7(503) दिनांक 24.02.2018 द्वारा टेबुलर फॉर्म में बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी। प्राप्त जांच आख्या का कार्यालय स्तर पर परीक्षणोंपरान्त सुस्पष्ट संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–217/49 पंजीकरण दिनांक 24.03.2018 द्वारा मुख्य अभियन्ता,

लो0नि0वि0, पौड़ी को लिखा गया। मुख्य अभियन्ता, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–750 / 7(503) दिनांक *04.04.2018* से अधीक्षण अभियन्ता, 7वां वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर द्वारा प्रेषित आख्या से सहमत होते हुये सूचना प्रेषित की गयी, जिस पर पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या–438 / 49 *पंजीकरण दिनांक 14.05.* 2018 द्वारा 04 बिन्दुओं पर मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी से सुस्पष्ट सूचना मांगी गयी। मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक–2190 / 7(503)याता0–पौड़ी / 2018 दिनांक 06.10.2018 द्वारा बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी।

अतः उक्त प्रकरण पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, थराली के पत्र दिनांक 25.11.2016 द्वारा की गयी संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी के उपरोक्त पत्र दिनांक 25.01.2017 से की गयी संस्तुति के आधार पर सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अपने अनुबन्धित दायित्वों को समयान्तर्गत पूर्ण न करने पर दोषी मानते हुये मै0 डसीला कन्स्ट्रक्शन (प्रो0 श्री भगवत सिंह डसीला, पुत्र श्री चन्द्रभानु सिंह डसीला) निवासी दुग बाजार तहसील बागेश्वर, जिला बागेश्वर को लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निर्माण कार्यो हेतु निविदा में प्रतिभाग न किये जाने हेतु पत्र जारी होने की तिथि से 03 वर्ष हेतु **Debar** किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते है।

आज्ञा से

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, नियोजन / अधिष्ठान विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय / रा0मा0 / पी0एम0जीएस0वाई0 / ए0डी0बी0 / वर्ल्ड बैंक लोक निर्माण विभाग.................................... ।
4. अधीक्षण अभियन्ता.............वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग.............................. ।
5. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय / निर्माण /अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0....................................... ।
6. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वैब साईड पर अपलोड करने हेतु।
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
8. मै0 डसीला कन्स्ट्रक्शन (प्रो0 श्री भगवत सिंह डसीला, पुत्र श्री चन्द्रभानु सिंह डसीला) निवासी दुग बाजार तहसील बागेश्वर, जिला–बागेश्वर।
9. गार्ड पत्रावली हेतु।

26-10-2020

(इं0 गोकर्ण सिंह पांगती)
मुख्य अभियन्ता (नियो0)

26/10/2020